• बीआरकेजीबी अपना वाहन ऋण योजना

1.	**उद्देश्य**	निजी उपयोग हेतु कार क्रय करना
2.	**पात्रताः—**	अ) ऐसे व्यक्ति जो सरकारी/अर्द्धसरकारी/केन्द्र सरकार/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान/प्रतिष्ठित औधौगिक संस्थान में कार्यरत है अथवा जिनका स्वयं का व्यवसाय है, यथा डॉक्टर, चार्टर अकाउण्टेंट, इन्जिनीयर आदि। जिनकी शुद्ध मासिक आय (कटौतियां घटाने के बाद) ₹10000/— से कम नही है। ब) सेवारत लोगों की मासिक आय से वर्तमान कटौतियां+प्रस्तावित किश्त की राशि का योग मासिक आय के योग के 60 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। स) सरकारी/अर्द्धसरकारी व प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं के कर्मचारी जिन्होने कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं स्थायी रूप से सेवारत हो।
3.	**ऋण सीमा**	i. अधिकतम ₹10.00 लाख ii. सेवारत आवेदकों हेतु सकल मासिक आय का 24 गुना iii. स्वनियोजित व्यक्तियों के मामले में विगत 3 वर्षे की औसत आय का 4 गुना (आयकर विवरणी में दर्शायी गयी कुल आय में से आयकर की राशि घटााने के बाद) iv. लागत का 75 प्रतिशत (लागत मे वाहन का मूल्य + पंजीयन शुल्क + बीमा प्रीमियम शामिल होगा।) v. आवेदित राशि (उपरोक्त i से v के अनुसार जो भी न्यूनतम हो।) स्वीकृति योग्य राशि होगी।
4.	**प्रतिभूति**	i. प्रतिष्ठित 2 व्यक्तियों की जमानत। ii. किश्तों के अनुरूप उतरदिनांकित चैक
5.	**मार्जिनः**	लागत का 25 प्रतिशत न्यूनतम नई कार, पुरानी हेतु 50% (लागत मे वाहन का मूल्य + पंजीयन शुल्क + बीमा प्रीमियम शामिल होगा।)
6.	**ब्याजदरः**	बैंक द्वारा समय— समय पर जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
7.	**सेवा प्रभारः—**	प्रोसेसिंग चार्ज, दस्तावेज शुल्क, निरीक्षण प्रभार, बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार वसूल किया जावेगा।
8.	**पुर्नभुगतान**	i नई कार हेतु ऋण वितरण के अगले माह से 84 समान मासिक किश्तों में (EMI) होगी। ii पुरानी कार हेतु 60 समान मासिक किश्तों मे (EMI) होगी।